बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं0:- 4680054 / पटना, दिनांक :- 06/10/2025

संचिका सं0- R-503/09/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-370693)

श्री सुनील कुमार चाँद (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक-236761), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कौआकोल (नवादा) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, झाझा (जमुई) के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं कन्या विवाह योजना में वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के दुरूपयोग जैसे – आवास योजना के लाभुक की मृत्यु होने जाने के बाद भी मृतक के बैंक खाते से स्वयं मृतक के नाम से फर्जी तरीके से राशि की निकासी किया जाना, एक ही लाभुक को दो बार आवास योजना का लाभ दिया जाना, आवास योजना की राशि लाभुक को न देकर किसी अन्य को हस्तांतरित करने, सरकारी सेवा में कार्यरत रहने के बावजूद आवास योजना का लाभ उनके पत्नी को देने, कन्या विवाह योजना में लाभुकों द्वारा दस्तावेजों पर अंकित हस्ताक्षर, अभिश्रव पर अंकित हस्ताक्षर एवं बैंक भाउचर पर किये गये हस्ताक्षर में भिन्नता पाये जाने इत्यादि आरोपों पर जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक- 160 दिनांक- 01.03.2024 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया । जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर विभागीय पत्रांक- I/131342/2024 दिनांक- 10.05.2024 द्वारा श्री सुनील कुमार चाँद से स्पष्टीकरण की माँग की गई । श्री सुनील कुमार चाँद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कौआकोल (नवादा) संप्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत के पत्रांक- शून्य दिनांक- 26.07.2024 द्वारा स्पष्टीकरण एवं पत्रांक- शून्य दिनांक- 07.08.2024 द्वारा पूरक स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया ।

विभागीय पत्रांक-3185770 दिनांक-18.09.2024 द्वारा उप विकास आयुक्त, नवादा से श्री सुनील द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्य की सत्यता से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी । उप विकास आयुक्त, नवादा के पत्रांक-834 दिनांक-23.12.2024 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

श्री सुनील कुमार चाँद के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप पत्र, श्री सुनील द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा उप विकास आयुकत, नवादा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उप विकास आयुक्त, नवादा द्वारा आरोपी पदाधिकारी के अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है । श्री सुनील के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिसके वृहत एवं गहण जाँच की आवश्यकता है । तदालोक में श्री सुनील कुमार चाँद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त के आलोक में श्री सुनील कुमार चाँद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री नन्द किशोर साह, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा को निदेश दिया जाता है।

एतद् द्वारा श्री सुनील कुमार चाँद को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

संकल्प सं0:-____________/ पटना, दिनांक :-____________

संचिका सं0- R-503/09/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-370693)

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-____________/ पटना, दिनांक :-____________

संचिका सं0- R-503/09/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-370693)

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, नवादा एवं जमुई/उप विकास आयुक्त, नवादा एवं जमुई /कोषागार पदाधिकारी, नवादा एवं जमुई/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री नन्द किशोर साह, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री सुनील कुमार चाँद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कौआकोल (नवादा) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, झाझा (जमुई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही तुरंत आरंभ कर देंगे तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

जिला पदाधिकारी, नवादा को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए पत्र का तामिला कराकर विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 4680054 / पटना, दिनांक :- 06/10/2025

संचिका सं0- R-503/09/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-370693)

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

6.10.25

सरकार के संयुक्त सचिव